



भारत का राजपत्र

The Gazette of India


असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



193]

नई दिल्ली, बुधवार, मई 24, 2000/ज्येष्ठ 3, 1922

193]

NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 24, 2000/JYAISTHA 3, 1922

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 26 अप्रैल, 2000

सा. का. नि. 487(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियम) आदेश, 2000 है।
- (2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर है।
- (3) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।
2. परिभाषाएं—इस आदेश में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
 - (क) "मुख्य विस्फोटक नियंत्रक" का वही अर्थ होगा जो भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884 (1884 का 4) में है ;
 - (ख) "उपभोक्ता" से ऐसा कोई रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, संस्था, व्यक्तियों का संगम, सहकारी सोसाइटी या संगठन अभिप्रेत है, जिसे किसी वितरक या सरकारी तेल कम्पनी या समानान्तर विपणनकर्ता द्वारा प्रपुंज में अथवा सिलैण्डर में द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस का कनेक्शन या प्रदाय मंजूर किया गया है ;
 - (ग) "सिलैण्डर" से कोई ऐसा धातु आधान अभिप्रेत है, जिसका उपयोग द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस के भंडारण के लिए किया जाता है और जो अनुसूची 2 और अनुसूची 3 में अधिकथित विनिर्देशों के अनुरूप है ;
 - (घ) "परिदान करने वाला व्यक्ति" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे उपभोक्ता को द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस सिलैण्डर में परिदान करने के लिए किसी सरकारी तेल कंपनी के किसी वितरक या समानान्तर विपणनकर्ता द्वारा लगाया गया हो ;
 - (ङ) "वितरक" से कोई ऐसा व्यक्ति, फर्म, व्यक्तियों का संगम, कंपनी, संस्था, संगठन या सहकारी सोसाइटी अभिप्रेत है, जो सरकारी तेल कंपनी या समानान्तर विपणनकर्ता द्वारा नियुक्त है और जो, यथास्थिति, किसी सरकारी तेल कम्पनी या समानान्तर विपणनकर्ता के साथ किसी करार के आधार पर उपभोक्ताओं को सिलैण्डरों में द्रवीकृत पैट्रोलियम गैस का क्रय, विक्रय या विक्रय के लिए भंडारण करने के कारबार में लगा हुआ है ;
 - (च) "गैस सिलैण्डर वाल्व" से ऐसा वाल्व अभिप्रेत है जो सिलैण्डर में फिट किया हुआ है ;

(छ) "सरकारी तेल कम्पनी" से निम्नलिखित अभिप्रेत है :

- (1) भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड;
- (2) बॉम्बेगैंगोव रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड;
- (3) कोचीन रिफाइनरीज लिमिटेड;
- (4) गैस अथारिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड;
- (5) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड;
- (6) इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड;
- (7) इंडो बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी लिमिटेड;
- (8) चैन्नई पेट्रोलियम कम्पनी लिमिटेड;
- (9) तुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड;
- (10) आयल इण्डिया लिमिटेड;
- (11) आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड; या

(12) कोई अन्य सरकारी कंपनी या कोई कानूनी निकाय या कोई कंपनी, या कोई फर्म जिसे अधिसूचना द्वारा सरकारी राजपत्र में केन्द्रीय सरकार द्वारा इस आदेश के प्रयोजन के लिए "सरकारी तेल कम्पनी" घोषित किया गया हो;

(ज) "भारतीय मानक" का वही अर्थ होगा जो उसका भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 (1986 का 63) की धारा 2 के खंड (छ) में है;

(झ) "द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस" से हल्के हाइड्रोकार्बनों का ऐसा मिश्रण अभिप्रेत है, जिसके अन्तर्गत ऐसे प्रोपेन, आइसो ब्यूटेन, सामान्य ब्यूटेन, व्युटिलीन आदि हो सकते हैं, जो सामान्य परिवेश ताप और वायुमंडलीय दाब पर गैसीय हैं, किन्तु सामान्य परिवेश ताप पर दाब डालने से द्रव अवस्था में संघनित हो सकते हैं और जो भारतीय मानक विनिर्देश सं. आई. एस. 4576 के अनुरूप हैं।

(ञ) "समानान्तर विपणनकर्ता" से कोई ऐसा व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, संस्था, व्यक्तियों का संगम, सहकारी सोसाइटी या संगठन अभिप्रेत है, जो समानान्तर विपणन प्रणाली के अधीन द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का आयात, भंडारण, परिष्करण, उत्पादन, भरण, विपणन, वितरण और/या विक्रय करने में से किसी अथवा सभी का कारबार कर रहा है ;

(ट) "समानान्तर विपणन प्रणाली" से सार्वजनिक वितरण प्रणाली से भिन्न ऐसी प्रणाली अभिप्रेत है जिसके अन्तर्गत समानान्तर विपणनकर्ता अपनी स्वयं की व्यवस्था के अधीन द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रपुंज में अथवा खुदरा में पैक किए हुए अथवा भरे हुए सिलिण्डर में आयात, भंडारण, भरण, वितरण, विक्रय करने में से किसी अथवा सभी के कारबार करता है ;

(ठ) "सार्वजनिक वितरण प्रणाली" से केन्द्रीय या किसी राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित किसी वितरण प्रणाली के माध्यम से सरकार द्वारा नियंत्रित या घोषित कीमत पर किसी सरकारी तेल कम्पनी द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस के वितरण, विपणन या विक्रय की प्रणाली अभिप्रेत है ;

(ड) "दाब रेगुलेटर" से वह उपस्कर अभिप्रेत है जो सिलिण्डर से गैस स्टोव में द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस के प्रवाह और दाब को नियमित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है ;

(ढ) "अनुसूची" से इस आदेश से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ;

(ण) "सील" से सिलिण्डर को उसमें द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस भर दिए जाने के पश्चात् सील करने के प्रयोजन के लिए वाल्व के ढक्कन के ऊपर लगाई गई सील अभिप्रेत है ;

(त) "भंडारण स्थल" से वह परिसर अभिप्रेत है जो मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा अनुज्ञप्त किया गया हो ;

(थ) "परिवाहक" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस को प्रपुंज में या सिलिण्डर में और खाली या त्रुटिपूर्ण सिलिण्डरों के परिवहन के लिए भी सरकारी तेल कम्पनी, समानान्तर विपणनकर्ता या किसी वितरक द्वारा प्राधिकृत किया गया हो ;

3. द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस के अप्राधिकृत कब्जे, प्रदाय और उपभोग पर निर्बन्धन—

(1) कोई व्यक्ति, जिसके पास सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस के लिए कनेक्शन है,—

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत दिए गए द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का एक से अधिक कनेक्शन नहीं रहेगा ;

परन्तु केन्द्रीय सरकार या किसी सरकारी तेल कम्पनी का मुख्य कार्यपालन अधिकारी, किसी व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस के प्रदायकों अभिप्राप्त करने में होने वाली कठिनाइयों और कष्टों को ध्यान में रखते हुए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का एक से अधिक कनेक्शन मंजूर कर सकेगा;

(ख) सिलेण्डरों से भरी हुई या प्रपुंज में द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस तब तक नहीं रखेगा या उसका उपयोग नहीं करेगा जब तक कि उसने वह प्रदाय किसी सरकारी तेल कम्पनी या ऐसी कम्पनी द्वारा प्राधिकृत किसी वितरक से प्राप्त न किया हो ;

(ग) ऐसे प्रयोजन से, जिसके लिए उपभोक्ता सरकारी तेल कम्पनी के वितरक के पास रजिस्ट्रीकृत है, भिन्न किसी प्रयोजन के लिए द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का उपयोग नहीं करेगा :

परन्तु केन्द्रीय सरकार, किसी साधारण या विशेष आदेश द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का ऐसे अन्य प्रयोजनों के लिए उपयोग अनुज्ञात कर सकेगी जो वह उस आदेश में विनिर्दिष्ट करें।

(2) घरेलू प्रवर्ग उपभोक्ता को द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रदाय 14.2 कि.ग्रा. की धारिता वाले सिलेण्डर में किया जाएगा और ऐसे उपभोक्ताओं को जो गैस-घरेलू प्रवर्ग के अधीन आते हैं, 19 कि.ग्रा./47.5 कि.ग्रा. की धारिता वाले सिलेण्डर में या ऐसी धारिता वाले सिलेण्डरों में किया जाएगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर अधिसूचित करे।

(3) किसी सरकारी तेल कम्पनी का कोई वितरक किसी व्यक्ति को तब तक सिलेण्डरों में भरी गई द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रदाय नहीं करेगा तब तक कि (क) उसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का कनेक्शन मंजूर न किया गया हो या (ख) उसके पास सरकारी तेल कम्पनी का विधिमान्य प्राधिकार न हो।

(4) यथास्थिति, सरकारी तेल कम्पनी या समानान्तर विपणनकर्ता का कोई वितरक इसमें प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप, जिसमें अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट क्रियाकलाप भी सम्मिलित हैं, न तो करेगा और न ही कराएगा।

द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस के भण्डारण और परिवहन पर निर्बन्धन—

(1) कोई व्यक्ति—

(क) तब तक किसी सिलेण्डर में द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस नहीं भरेगा या एक सिलेण्डर से दूसरे सिलेण्डर में या एक आधान से दूसरे आधान में द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का अन्तरण नहीं करेगा जब तक उसे मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा प्राधिकृत न किया गया हो।

(ख) द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस से भरे सिलेण्डरों का, सीधी खड़ी स्थिति के सिवाय, परिवहन या भंडार नहीं करेगा ;

(ग) द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस से भरे सिलेण्डर का शीतल, शुष्क सुसंवातित और छतवाले सुगम स्थान पर ही, जो वायलर, खुली ज्वाला, वाष्प नली या उष्मा के किसी संभावित स्रोत से भरे हो, भंडारण करेगा या उपयोग करेगा या भंडारण कराएगा या उपयोग कराएगा ;

(घ) सिलेण्डरों का उपयोग करने से पहले सील न ही हटाएगा :

परन्तु वितरक या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि या परिदान करने वाला व्यक्ति परीक्षण जांच-पड़ताल या सिलेण्डर को फिट करने के लिए उपभोक्ता की उपस्थिति में ऐसी सील हटा सकेगा ;।

(ङ) अनुसूची 2 और अनुसूची 3 में विनिर्दिष्ट से भिन्न सिलेण्डर, दाब रेगुलेटर और गैस सिलेण्डर वाल्व का उपयोग नहीं करेगा।

(2) कोई परिवाहक या परिदान करने वाला व्यक्ति उपभोक्ता या वितरक से भिन्न किसी व्यक्ति को सिलेण्डरों या प्रपुंज में द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का परिदान नहीं करेगा या कराएगा।

5. मानक भार से कम या उससे अधिक द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस के विक्रय या वितरण पर निर्बन्धन —

कोई सरकारी तेल कम्पनी, वितरक या समानान्तर विपणनकर्ता किसी उपभोक्ता को द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रदाय, विक्रय या वितरण ऐसे सिलेण्डरों में नहीं करेगा, जिनमें अनुसूची "2" और "3" में विनिर्दिष्ट या सिलेण्डर पर यथा उपदर्शित भार से कम या उससे अधिक द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस हो।

6. एल पी जी के विक्रय का अप्राधिकृत कारबार करने पर प्रतिषेध —

सरकारी तेल कम्पनी, समानान्तर विपणनकर्ता या वितरक से अन्य कोई व्यक्ति, किसी उपभोक्ता को द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का विक्रय करने का कारबार नहीं करेगा।

7. द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस उपस्करों का कब्जा, प्रदाय या विक्रय —

(1) कोई व्यक्ति —

- (क) किसी सरकारी तेल कम्पनी या समानान्तर विपणनकर्ता से भिन्न किसी व्यक्ति को भरे हुए या खाली सिलेण्डर, सिलेण्डर वाल्व और दाब रेगुलेटर का प्रदाय या विक्रय नहीं करेगा ;
- (ख) जब तक कि सरकारी तेल कम्पनी या समानान्तर विपणनकर्ता द्वारा प्राधिकृत न किया गया हो, तब तक उपभोक्ता किसी व्यक्ति को भरे हुए या खाली सिलेण्डर, गैस सिलेण्डर वाल्व और दाब रेगुलेटर का प्रदाय या विक्रय नहीं करेगा ;
- (ग) भरा हुआ या खाली सिलेण्डर, गैस सिलेण्डर वाल्व या दाब रेगुलेटर नहीं रखेगा जब तक कि वह वितरक या उपभोक्ता के द्वारा सिलेण्डर, गैस सिलेण्डर वाल्व और दाब रेगुलेटर का प्रत्येक विनिर्माता उन सिलेण्डरों, सिलेण्डर वाल्वों और दाब रेगुलेटरों के भारतीय मानकों के अनुरूप नहीं हैं, संदलन द्वारा नष्ट कर देगा।

8. द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस के स्टॉक और कीमत को प्रदर्शित करना —

प्रत्येक वितरक कारबार परिसर के, जिसके अन्तर्गत भंडारण स्थल भी है, सहजदृश्य स्थान पर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस के स्टॉक कीमत को प्रमुख रूप से प्रदर्शित करेगा, जिसमें निम्नलिखित दर्शित होगा —

- (i) भरे हुए खाली और त्रुटिपूर्ण सिलेण्डरों और रेगुलेटरों का आरम्भिक अतिशेष ;
- (ii) पूर्ववर्ती कार्य दिवस को प्रदाय किए जाने वाले भरे हुए सिलेण्डरों का बकाया।

9. वितरक द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का उपापन, भंडारण और विक्रय —

- (क) कोई वितरक, जिसके पास कारबार परिसर पर, जिसके अन्तर्गत भंडारण स्थल भी है, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का स्टॉक रखेगा, जब तक कि किसी सरकारी तेल कम्पनी या समानान्तर विपणनकर्ता द्वारा अन्यथा निदेश न दिया गया हो, कार्य दिवस को, कार्य समय के दौरान ऐसे उपभोक्ता को, जिसका नाम वितरक के पास रजिस्ट्रीकृत है, एल पी जी गैस का विक्रय से इंकार नहीं करेगा।

- (ख) कोई वितरक अपना कारबार परिसर, जिसके अन्तर्गत भंडारण स्थान भी है, सरकारी तेल कंपनी या समानान्तर विपणनकर्ता की पूर्व लिखित अनुज्ञा के बिना, किसी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान बंद नहीं रखेगा।

स्युटीकरण:— उपखंड (क) और उपखंड (ख) के प्रयोजनों के लिए कार्य-समय "पद से, यथास्थिति, विभिन्न राज्यों या संघ राज्यक्षेत्रों में प्रवृत्त दुकान और स्थापन अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अंतर्गत संबद्ध सरकारी तेल कम्पनी या समानान्तर विपणनकर्ता द्वारा नियत कार्य समय अभिप्रेत है।

- (ग) प्रत्येक वितरक यह सुनिश्चित करने के लिए सभी उचित कदम उठाएगा कि कारबार परिसर में, जिसके अन्तर्गत भंडारण स्थान भी है, सब समय द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का स्टॉक उपलब्ध रहे।

- (घ) कोई भी वितरक सरकारी तेल कम्पनी या समानान्तर विपणनकर्ता द्वारा नियत कीमत से अधिक कीमत पर द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का विक्रय नहीं करेगा।

- (ङ) कोई भी वितरक, संबद्ध सरकारी तेल कम्पनी की पूर्व लिखित अनुज्ञा के बिना ऐसे उपभोक्ता के घर के पते पर, जो सरकारी तेल कम्पनी के पास रजिस्ट्रीकृत है, परिदान करने से इंकार नहीं करेगा :

परन्तु राज्य सरकार उपभोक्ता को एल पी जी सिलेण्डरों का घर पर परिदान करने के लिए, ऐसे अतिरिक्त प्रयास कर सकेगी, जो वह वितरण क्षेत्र में भौगोलिक भू-भाग और या दूरी को ध्यान में रखते हुए, आवश्यक समझे।

- (च) प्रत्येक वितरक कारबार के स्थान पर, जिसके अन्तर्गत भंडारण स्थान भी है, सहजदृश्य स्थान पर कार्य समय के स्टॉक को प्रदर्शित करेगा।

10. वितरक द्वारा रजिस्टर लेखा बही रखना —

- (क) प्रत्येक वितरक कारबार परिसर में प्रत्येक दिन द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस के दैनिक क्रय, विक्रय और भंडारण का उचित लेखा रखेगा, जिसमें —

- (i) भरे हुए, खाली और त्रुटिपूर्ण सिलेण्डरों का आरम्भिक स्टॉक ;
- (ii) दिन के दौरान प्राप्त भरे हुए, खाली और त्रुटिपूर्ण सिलेण्डरों की संख्या ;
- (iii) दिन के दौरान विक्रय किए गए, परिदत्त किए गए या अन्यथा व्ययनित भरे हुए, खाली और त्रुटिपूर्ण सिलेण्डरों की संख्या ;
- (iv) भरे हुए, खाली और त्रुटिपूर्ण सिलेण्डरों का अन्तिम स्टॉक ;
- (v) ऐसी अन्य सुसंगत विशिष्टियां, जो इस पार्ट में संबद्ध सरकारी तेल कम्पनी या समानान्तर विपणनकर्ता लिखित आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे, उपदर्शित होंगी।

(ख) वितरण, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस कनेक्शन प्राप्त करने के लिए उसके पास रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के नाम और पता के ब्यौरे देते हुए एक रजिस्टर रखेगा।

11. समानान्तर विपणनकर्ता का निर्धारण और प्रमाणीकरण रेटिंग :-

1. (क) कोई भी समानान्तर विपणनकर्ता उसके मूल्यांकन और रेटिंग के आधार पर अनुसूची 4 में दिए हुए अभिकरण से, अपनी क्षमता, अवसंरचनात्मक नैटवर्क और वृत्तिक कारखाने चलाने की तत्परता तथा माल के प्रदाय और परिवहन के लिए पर्याप्त सुरक्षा बैंकअप, परिवहन के दौरान दुर्घटना राहत के लिए उपबन्ध द्वारा वचन बहुमाल और सेवाओं का परिदान और उपभोक्ताओं की आपात शिकायतों को दूर करने के लिए रेटिंग प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस के कारखाने से संबंधित कोई क्रियाकलाप जैसे आयात, भंडारण, परिवहन, भरण, विपणन, वितरण, विक्रय या इसके समनुपंगी कोई क्रियाकलाप नहीं करेगा;
 - (ख) रेटिंग प्रमाणपत्र अनुसूची 5 में यथा विनिर्दिष्ट रूपविधान में और अनुसूची 6 में दिए गए अग्रेपण पत्र के अनुसार जारी किया जाएगा।
 - (ग) रेटिंग प्रमाणपत्र—
 - (i) जारी किए जाने की तारीख से 'अच्छी' और समाधानप्रद रेटिंग की दशा में दो वर्ष की अवधि के लिए और अन्य रेटिंग की दशा में एक वर्ष के लिए विधिमान्य होगा, और
 - (ii) रेटिंग अभिकरण द्वारा नवीकरण के लिए अपेक्षित होगा।
- (2) प्रत्येक समानान्तर विपणनकर्ता जो किसी समाचारपत्र, लघुपत्रिका, पम्फलेट, पत्रियों द्वारा या संचार के अन्य साधनों या विज्ञापन द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस के आयात, परिवहन, विपणन, भरण, वितरण या विक्रय के क्षेत्र में अपनी क्रियाकलाप के ब्यौरे की उद्घोषणा करता है या किसी प्रकार की प्रस्थापनाएं आमंत्रित करता है, उसे दिए गए रेटिंग को वह शब्दों में अर्थात् अच्छी समाधानप्रद, कम जोखिम, अधिक जोखिम, जो भी लागू हो, उपदर्शित करेगा और रेटिंग अभिकरण द्वारा दिए गए रेटिंग प्रमाणपत्र को सहज रूप से प्रकाशित करेगा।
- (3) किसी रेटिंग अभिकरण की, प्रत्येक आवेदन के संबंध में निम्नलिखित संदाय किया जाएगा :
 - (i) समानान्तर विपणनकर्ता को दिए गए रेटिंग प्रमाणपत्र के लिए, पचास हजार रुपए की निम्नतम और दस लाख रुपए की अधिकतम सीमा के अधीन रहते हुए परियोजना लागत के 0.05 प्रतिशत की दर पर फीस, और
 - (ii) समानान्तर विपणनकर्ता द्वारा रेटिंग प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए ऐसे प्रमाणपत्र के संबंध में संदाय किए जाने के लिए अपेक्षित फीस का दसवां भाग।
 - (iii) समानान्तर विपणनकर्ता द्वारा रेटिंग प्रमाणपत्र का नवीकरण निम्नलिखित आवर्तिता के अनुसार होगा, अर्थात् :-
 - (क) ऐसे व्यक्ति जिनके पास पूर्ववर्ती वर्ष में अच्छा और समाधानप्रद से भिन्न रेटिंग प्रमाणपत्र था, दो वर्ष में एक बार;
 - (ख) ऐसे व्यक्ति जिनके पास पूर्ववर्ती वर्ष में अच्छा और समाधानप्रद से भिन्न रेटिंग प्रमाणपत्र था, वर्ष में एक बार।
- (4) मूल्यांकन के प्रयोजन के लिए अनुसूची 4 में दिए हुए अभिकरण, समानान्तर विपणनकर्ता द्वारा फीस का संदाय किए जाने पर, ऐसे समानान्तर विपणनकर्ता को, जिसका मामला उसे निर्दिष्ट किया गया है या जिसने उससे संपर्क किया है, अनुसूची 7 में दिए गए रूप विधान में, अन्य बातों के साथ-साथ ऐसे समानान्तर विपणनकर्ता द्वारा उपदर्शित मापदंडों और दी जाने वाली जानकारी या ऐसी जानकारी के आधार पर जिनकी रेटिंग अभिकरण द्वारा अपेक्षा की जाए, मूल्यांकन करेगा।
- (5) प्रत्येक समानान्तर विपणनकर्ता, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, तेल समन्वय समिति, केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के साथ और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय और ऐसे जिले के, जहां वह द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का आयात, परिवहन, भरण, विपणन, वितरण या विक्रय करता है, कलक्टर के पास रेटिंग प्रमाणपत्र की प्रमाणित सही प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा।
- (6) समानान्तर विपणनकर्ता के सभी पत्र शीर्षों या पत्र व्यवहार में रेटिंग का निम्नलिखित विवरण होगा।
 - (i) रेटिंग अभिकरण का नाम
 - (ii) उसे दी गई रेटिंग, और
 - (iii) जारी करने की तारीख।
- (7) कोई भी समानान्तर विपणनकर्ता, समाचारपत्र, लघु पत्रिका, पम्फलेट, पत्रियाँ, विज्ञापन आदि में अपूर्ण, गलत, भ्रामक या अस्पष्ट जानकारी नहीं देगा या ऐसी जानकारी रेटिंग अभिकरण में प्रस्तुत नहीं करेगा :

परन्तु ऐसे समानान्तर विपणनकर्ता को, जो किसी ऐसे अन्य समानान्तर विपणनकर्ता के, जिसने रेटिंग प्रमाणपत्र प्राप्त कर लिया है, अभिकर्ता के रूप में द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस के परिवहन, विपणन, वितरण या विक्रय या कारखाने कर रहा है, रेटिंग प्रमाणपत्र प्राप्त करना अपेक्षित नहीं होगा। स्पष्टीकरण इस खण्ड के प्रयोजन के लिए, कोई समानान्तर विपणनकर्ता किसी अन्य समानान्तर विपणनकर्ता का अभिकर्ता तब समझा जाएगा, यदि पहला उक्त प्रयोजनों के लिए दूसरे द्वारा विधिक लिखत के माध्यम से नियुक्त अभिकर्ता है।

को सभी प्रकार से पूरा करती है।

- (ग) समानान्तर विपणनकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, किसी उपभोक्ता को विक्रय किए जाने से पूर्व बी. विनिर्देश सं. आई एस. 4576 को पूरा करती है।
- (घ) द्रवित पेट्रोलियम गैस का समानान्तर विपणनकर्ता पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को पतनवार उत्पादित और/या द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस के ब्यौरे देते हुए आगामी माह की 15 तारीख के पहले एक मासिक विवरणी प्रस्तुत करेगा।
- (ङ) समानान्तर विपणनकर्ता पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय को या ऐसे प्राधिकारी को, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट जाए, ऐसी सूचना, जो अपेक्षा की जाए, देगा।

13. प्रवेश, तलाशी और अभिग्रहण की शक्ति—

- (1) केन्द्रीय या राज्य सरकार का कोई राजपत्रित अधिकारी जो निरीक्षक की रैंक से नीचे का न हो और जिसे यथास्थिति, केन्द्रीय अथवा राज्य सरकार द्वारा साधारण अथवा विशेष आदेश द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किया गया हो या केन्द्रीय सरकार प्राधिकृत सरकारी तेल कम्पनी का कोई अधिकारी जो विक्रय अधिकारी से नीचे रैंक का न हो, इस आदेश या इसके अधीन किए गए किसी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से—
- (क) किसी ऐसे जलयान या यान को रोक सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा जो किसी पेट्रोलियम उत्पाद के परिवहन के भंडारण के लिए उपयोग किया गया है या उपयोग किए जाने में सक्षम है;
- (ख) किसी स्थान में प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा।
- (ग) द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस के ऐसे स्ट्याक का, आधान और/या उपस्कर जैसे सिलैण्डर, गैस सिलैण्डर वाल्व, दाब रेगुलेटर, सील सहित अभिग्रहण कर करेगा, जिसकी बाबत उसके पास यह विश्वास करने के कारण है कि इस आदेश का उल्लंघन किया गया है, किया जा रहा है या किया जाने वाला है।
- (2) सरकारी तेल कम्पनी के विक्रय अधिकारी को, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन नियुक्त वितरकों और/या उसके रजिस्ट्रीकृत उपभोक्ता द्वारा इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए प्राधिकृत किया जाएगा।

14. आदेश का अध्यारोही प्रभाव—इस आदेश के उपबन्धों का, किसी राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा किए गए किसी आदेश में प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, अध्यारोही प्रभाव होगा।

15. छूट देने की शक्ति—यदि केन्द्रीय सरकार किसी कठिनाई को दूर करने के लिए या लोक हित को ध्यान में रखते हुए आवश्यक समझे तो वह किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस आदेश के सभी या किसी उपबन्ध से, ऐसी शर्तों के अधीन रहते जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, साधारणतया या किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए छूट दे सकेगी।

16. निरसन और व्यावृत्ति—(1) द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश, 1993 निरसित किया जाता है— परन्तु ऐसा आदेश निम्नलिखित को प्रभावित नहीं करेगा—

- (क) उक्त आदेश का पूर्वतर प्रवर्तन या उसमें सम्यक् रूप से की गई या सहन की गई कोई बात, या
- (ख) उक्त आदेश के अधीन अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकारी, विशेषाधिकार, बाध्यता या दायित्व, या
- (ग) उक्त आदेश के विरुद्ध किए गए किसी अपराध के संबंध में उपगत किसी शास्ति, समपहरण या दण्ड, या
- (घ) ऐसे किसी पूर्वोक्त अधिकार, विशेषाधिकार, बाध्यता, दायित्व, शास्ति, समपहरण या दंड की बाबत किसी जांच, विधि कार्यवाहियों या उपचार और ऐसी कोई जांच, विधिक कार्यवाही या उपचार इस प्रकार संस्थित, जारी या प्रवृत्त किए जा सकेंगे और ऐसी कोई शास्ति, समपहरण या दंड इस प्रकार अधिरोपित किया जा सकेगा मानों उक्त आदेश निरसित नहीं किया गया हो।

अनुसूची—1

[खंड 3 (4) देखिए]

प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप

(सरकारी तेल कंपनियों के लिए)

1. उपभोक्ता को स्टोव/हाटप्लेट का बलात विक्रय।
2. रजिस्ट्रीकरण/नया कनेक्शन देते समय आवेदक से अप्राधिकृत प्रभारों की वसूली।
3. एल.पी.जी. उपभोक्ताओं को अंशतः प्रयुक्त सिलेण्डरों/सिलेण्डरों से चुराये गये उत्पाद/चुराये गए उत्पाद के साथ सिलेण्डरों का प्रदाय।
4. अप्राधिकृत और/या बिना पारी के नये एल.पी.जी. कनेक्शन देना।
5. एल.पी.जी. अघरेलू उपयोग के लिए घरेलू सिलेण्डरों का अप्राधिकृत अपयोजन।
6. जाली दस्तावेजों का, जिनमें पर्यवसन वाउचर और अंतरण पर्यवसन वाउचर सम्मिलित है, स्वीकार किया जाना।
7. अप्रमाणिक एल.पी.जी. उपस्करों को कब्जे में रखना।
8. अप्रमाणिक एल.पी.जी. उपस्कर का अधिष्ठापन और/या अप्रमाणिक उपस्कर द्वारा प्रतिस्थापन।
9. आज्ञापक अभिलेखों का छलसाधन।
10. उपभोक्ताओं को एल.पी.जी. रीफिल प्रदाय का घरेलू-इतर परिदान और/या एल.पी.जी. उपभोक्ताओं को घरेलूइतर परिदान पर रिबेट का न दिया जाना।
11. एल.पी.जी. रीफिल प्रदाय, प्रतिष्ठापन प्रभारों, यांत्रिक प्रभारों और/या सरकारी तेल कंपनी द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य प्रभार पर वितरक द्वारा अधिक प्रभार लिया जाना।
12. नये कनेक्शन और/या दोहरे सिलेण्डर के कनेक्शन के अनुरोध को रजिस्टर करने से इंकार करना।

प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप

(समानांतर विपणनकर्ता के लिए)

1. उपभोक्ताओं को स्टोव/हाटप्लेट का बलात विक्रय।
2. एल.पी.जी. उपभोक्ताओं को अंशतः प्रयुक्त सिलेण्डरों/सिलेण्डरों से चुराये गए उत्पाद/चुराये गए उत्पाद के साथ सिलेण्डरों का प्रदाय।
3. अप्रमाणिक एल.पी.जी. उपस्कर को कब्जे में रखना।
4. अप्रमाणिक एल.पी.जी. उपस्कर का अधिष्ठापन और/या अप्रमाणिक उपस्कर द्वारा प्रतिस्थापन।
5. आज्ञापक अभिलेखों का छलसाधन।

अनुसूची—2

[खंड 4 (1) (ड) और खंड 5 देखिए]

तेल कंपनी के वितरकों को लागू होना

द्रवित पेट्रोलियम गैस सिलेण्डर का मानक आकार और विनिर्देश आई एस 3196 (भाग 1), 1992 रंग कोड विनिर्देश आई एस 4379 लिखित के अनुरूप होगा :

आंतरिक व्यास मि. मी. में

314 मि.मी. + 1 % - 0 %

330.1 मि.मी. + 2 % - 0 %

368.3 मि.मी. + 1 % - 0 %

सिलेण्डर में द्रवित पेट्रोलियम गैस का शुद्ध भार

14.2 कि.ग्रा. ± 150 ग्राम.

19 कि.ग्रा. ± 1.0 %

47.5 कि.ग्रा. ± 1.0 %

(± किसी भी ओर के अन्तर को उपदर्शित करते हैं)

टिप्पण :—

- सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन गैस सिलेण्डर वाल्व का मानक आकार और विनिर्देश आई एस 8737 (भाग 2) विनिर्देशानुसार होगा जिसकी बाह्य पट्टी का व्यास 25.6 मि.मी. होगा।
- दाब रेगुलेटर आई एस 9798 विनिर्देश के अनुरूप होगा जिसका आंतरिक व्यास 25.6 मि.मी. होगा।

अनुसूची—3

[खंड 4 (1) (ड) और खंड 5 देखिए]

(सामानांतर विपणन प्रणाली को लागू होना)

समानांतर विपणन प्रणाली के अधीन कोई विपणनकर्ता निम्नलिखित के साथ व्यवहार करेगा और निम्नलिखित का उपयोग करेगा

- अनुसूची 2 में विनिर्दिष्ट सिलेण्डरों से भिन्न किसी आकार, बनावट, डिजाइन और भार का सिलेण्डर जो भारतीय मानक के अनुरूप हो।
- आई एस विनिर्देश 8737 भाग 2 के अनुरूप किसी आकार का गैस सिलेण्डर वाल्व जिसकी बाह्य पट्टी का व्यास 25.6 मि.मी. हो।
- आई एस विनिर्देश 9798 के अनुरूप किसी आकार का दाब रेगुलेटर जिसका आंतरिक व्यास 22.0 मि.मी. से भिन्न हो।

टिप्पण :—

- समानांतर विपणनकर्ता द्वारा प्रयुक्त सिलेण्डर में एक वाल्व सुरक्षा छल्ला लगा होगा जो आकार में सरकारी तेल कंपनी के सिलेण्डरों में लगे छल्ले से भिन्न होगा।
- समानांतर विपणनकर्ता द्वारा प्रयुक्त सिलेण्डर पर, मुख्य विस्फोटक नियंत्रक द्वारा यथा अनुमोदित संबंधित कंपनी, फार्म या पेट्रोलियम का विपणन करने वाले व्यक्ति का कलर ब्रेण्ड और लोगो स्पष्ट रूप से चिह्नित होगा।
- शुद्ध मात्रा के संबंध में भार या मात्रा के आधार पर घोषित अधिकतम अनुज्ञात गलती निम्नानुसार होगी :—

घोषित मात्रा ग्रा. या मि.ली.	आधिक्य या कमी की अधिकतम अनुज्ञात गलती	ग्रा. या मि.ली.
1000 - 10000	0 %	—
10000 - 15000	1.5 %	—
15000 से अधिक	—	150
	1.0 %	—

अनुसूची—4

[खंड 11 (1) (क) और खंड (4) देखिए]

समानांतर विपणनकर्ता के मूल्यांकन के लिए अभिकरणों के नाम और पते

नाम	पता
1. क्रिसिल (दि क्रेडिट रेटिंग इन्फोमेशन सर्विसिज आफ इंडिया लिमिटेड)	निरलॉन हाऊस, दूसरा तल, 254 बी, एनी वेसेंट रोड, वर्ली, मुंबई-400025
2. केयर (क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड)	आर. बी.सी. महिंद्रा टावर्स, पांचवां तल, रोड सं. वर्ली, मुंबई-400018
3. एम. डी. आर. ए. (मार्किटिंग एंड डेवलपमेंट रिसर्च एसोसिएट्स)	सेकुलर हाऊस, 9/1, इंस्टीट्यूशनल एरिया, जे.एन.यू. के सामने, नई दिल्ली-67
4. आई सी आर ए (इन्वेस्टमेंट इन्फोमेशन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी आफ इंडिया लिमिटेड)	कैलाश बिल्डिंग, चौथा तल, 26, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली-1

अनुसूची—5

[खंड 11(1)(ख) देखिए]

समानांतर विपणनकर्ता के लिए रेटिंग प्रमाणपत्र

जारी करने की तारीख

पत्नी का नाम :

प्रकृत कार्यालय का पता :

क/अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक का नाम :

कलाप :

की विशिष्टियां :

संपूर्ण रेटिंग

हस्ताक्षर और रेटिंग अभिकरण की मुद्रा

अनुसूची—6

[खंड 11(1)(ख) देखिए]

प्रमाणपत्र के लिए अग्रेषण पत्र

किसी से यह संबंधित हो

प्रमाणपत्र प्रदान किया जाता है कि हमने मैसर्स का, उन्हें प्रमाणपत्र और जारी करने के प्रयोजन के लिए, प्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन), आदेश, 2000 के उपबंधों के अनुसार मूल्यांकन किया है।

हमारे द्वारा यह प्रमाण पत्र, दस्तावेजों, अभिलेखों के संबंध में हमारी जांच और हमें प्राप्त जानकारी के निर्धारण तथा समानांतर विपणनकर्ता के वित्तीय कारबार करने, वचनबद्ध माल और सेवाएं परिदत्त करने की क्षमता, अवसंरचनात्मक नेटवर्क और तत्परता के मूल्यांकन के परिणाम-जारी किया गया। हमारा यह समाधान हो गया है कि हमारे द्वारा प्राप्त और एकत्रित की गई जानकारी और विशिष्टियां विनिर्दिष्ट रेटिंग प्रदान के संबंध में मैसर्स ** का मूल्यांकन करने के लिए हमें समर्थ बनाने के लिए पर्याप्त है।

** को रेटिंग दी गई है।

** के संबंध में मुख्य तथ्य निम्न प्रकार हैं:—

1. योजनाबद्ध कुल निवेश।
2. अब तक किया गया कुल निवेश।
3. संप्रवर्तक की साम्या।
4. आरम्भ करने की प्रस्तावित/संभावित तारीख

** समानांतर विपणनकर्ता का नाम उपदर्शित किया जाएगा।

हस्ताक्षर और रेटिंग अभिकरण की मुद्रा

अनुसूची—7

[खंड 11 (4) देखिए]

रेटिंग अभिकरण द्वारा मूल्यांकन/रेटिंग के लिए समानांतर विपणनकर्ता द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली जानकारी का प्रोफार्मा

मापदंड

ब्यौरे*

1. कंपनी की बाजार की साख :

- (क) फर्म का गठन
- (ख) रजिस्ट्रीकृत कार्यालय
- (ग) विद्यमान कारबारों के अवस्थान और पते
- (घ) संप्रवर्तकों/निदेशकों/भागीदारों के नाम
- (ङ) संप्रवर्तकों/निदेशकों/भागीदारों की पृष्ठभूमि और पूरा पूर्ववृत्त
- (च) संप्रवर्तकों/निदेशकों/भागीदारों की मूल योग्यता
- (छ) वर्तमान क्रियाकलाप
- (ज) समानान्तर विपणनकर्ता और/या उसकी कंपनियों के समूह की विद्यमान संक्रियाओं का ब्यौरे।
- (झ) संप्रवर्तक फर्म और सम्बद्ध समूह का संप्रवर्तों के गठन के ब्यौरे सहित तीन वर्ष का संपरीक्षित लेखा।
- (ञ) प्रस्तावित स्क्रीम के सार सहित समानान्तर विपणन से संबंधित नए कारबार के लिए कामकाज पूंजी की अपेक्षा।
- (ट) पहले से ली गई प्राकृतिक परियोजनाओं की लागत, समय परियोजनाओं की प्रकृति और अंतर्बन्धित प्रौद्योगिकी का संबंधी अभिलेख।
- (ठ) कारबार योजनाएं और परियोजनाबद्ध नकद प्रवाह।
- (ड) विद्यमान और प्रस्तावित कारबारों के लिए निधियों के स्रोत जुटाना।
- (ढ) समानान्तर विपणनकर्ता का उसकी अन्य समूह कंपनियों में आय कर समाशोधन प्रमाणपत्र सहित पिछले तीन वर्ष का

2. द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस के लिए विपणन योजनाएं :

2.1 द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस के लिए स्रोत जुटाने/संभलाई के लिए अवसंरचना :

- (क) पता लगाए गए आयात अवस्थान।
- (ख) आयात पासलों के प्रस्तावित आकार।
- (ग) अनुमोदनों की प्रास्थिति (पत्तन/कानूनी/राज्य सरकार/मुख्य विस्फोटक नियंत्रक/पर्यावरण/चहुंमुखी नेटवर्क/स्थानीय से प्राप्त लक्ष्य)।
- (घ) प्रगति की प्रास्थिति।
- (ङ) प्रौद्योगिकीय गठबंधन, यदि कोई हो, के ब्यौरे।
- (च) कारबार संबंधी प्रस्ताव/परियोजना साध्यता रिपोर्ट/वित्तीय ब्यौरे और वित्तीय जोखिम विश्लेषण।

2.2 द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस के लिए वाणिज्यिक व्यवस्थाएं और/या सहायता (यदि स्वयं की सुविधाएं योजनाबद्ध नहीं हैं) :

- (क) आयातकर्ता के साथ अंतिम रूप से की गई व्यवस्था संबंधी कोई गठबंधन।
- (ख) ऐसे गठबंधन के संबंध में समर्थनकारी करार/दस्तावेज।
- (ग) न्यूनतम गारंटी के साथ आयात किए जाने वाले उत्पाद की मात्रा।
- (घ) आयात अवस्थान पर उत्पाद के भंडारण और उसकी संभलाई/गठबंधन करार के ब्यौरे।
- (ङ) गठबंधन व्यवस्था के कारगर सिद्ध न होने की दशा में कमी को पूरा करने के लिए व्यवस्था करना।

3. योजनाबद्ध द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस के लिए भंडारण और वितरण की व्यवस्था :

- (क) डिपो भरण संयंत्र के संबंध में उनकी क्षमता सहित भंडारण सुविधाओं के ब्यौरे।
- (ख) ऊपर उल्लिखित मदों संबंधी प्रगति की प्रास्थिति।
- (ग) संयंत्र और उपस्कर/प्रौद्योगिकीय ब्यौरे।
- (घ) जनशक्ति और उत्पाद की संभलाई के लिए व्यवस्था के ब्यौरे।

- (ड) इन सुविधाओं की संरचना और सक्रिया के लिए अपनाए जाने वाले डिजाइनों और मानकों के ब्यौरे।
 (च) सुविधाओं के अनुमोदन की प्रास्थिति।
 (छ) सिलिंडरों/वाल्वों/रेगुलेटरों के उपापन के लिए की गई व्यवस्थाओं के ब्यौरे।
 (ज) क्या भरण संयंत्र, तेल उद्योग सुरक्षा निदेशालय 144/169 के सुरक्षा मानकों के अनुसार है।

उत्पाद को खपत केन्द्रों/बाजारों तक पहुँचाने के लिए योजनाबद्ध व्यवस्थाएं :

- (क) योजनाबद्ध/पहले से नियुक्त नेटवर्क वितरकों के ब्यौरे।
 (ख) वितरकों की नियुक्ति के लिए आधार के ब्यौरे।
 (ग) योजनाबद्ध/विद्यमान शोरूम/विक्रय कक्ष/कार्यालय और गोदाम के, अनुमोदन की प्रास्थिति सहित ब्यौरे।
 (घ) वितरकों के गोदामों और उपभोक्ताओं के बीच वितरण व्यवस्था के ब्यौरे।

उत्पाद के संबंध में जानकारी और प्रशिक्षण तथा सुरक्षा के लिए उपबन्ध :

- (क) उत्पाद (द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस) और उसकी संभलाई के संबंध में संक्रियात्मक ज्ञान।
 (ख) द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस के संबंध में सुरक्षा अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए क्षमता और तैयारियां, इसका परिवहन तथा परिवहन के दौरान दुर्घटना अनुतोष।
 (ग) उपस्कर/उत्पाद की सुरक्षित संभलाई के संबंध में कर्मचारियों और उपभोक्ताओं को प्रशिक्षण देने की योजनाएं।
 (घ) कर्मचारियों के लिए भर्ती नीति और मानक।
 (ङ) गैस नियंत्रण आदेशों, विस्फोटक नियमों और लागू होने वाले अन्य स्थानीय अधिनियमों के संबंध में जानकारी।
 (च) उपभोक्ताओं की आपात शिकायतों को दूर करने के लिए इंतजाम के ब्यौरे।

अपनाए जाने वाले विपणन अनुशासन और प्रस्तावित मार्गदर्शक सिद्धांत :

- (क) वितरकों और परिदान करने वाले व्यक्तियों के लिए आचार संहिता।
 (ख) उत्पादों के संबंध में अपमिश्रण और अप्राधिकृत विचलन को मानिटर और नियंत्रण करने की प्रणाली।

द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस के समानान्तर विपणन के लिए विद्यमान/प्रस्तावित संगठन:

- (क) संगठनात्मक ढाँचे के ब्यौरे।
 (ख) संप्रवर्तक के प्रबन्धक के रूप में सम्मिलित होने का स्तर।
 (ग) द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस के समानान्तर विपणन, जिसमें अवसंरचना सम्मिलित है, के वित्तपोषण का स्रोत।
 (घ) ऐसे अन्य सुसंगत ब्यौरे जो समानान्तर विपणनकर्ता देना चाहे।

वित्तीय प्रतिबद्धता :

- (क) कुल अनुमानित परियोजना लागत।
 (ख) योजनाबद्ध (फेज-वार) संसाधन जुटाना।
 (ग) तारीख ————— को की गई संसाधनों की व्यवस्था और विनिधान।
 (घ) उपरोक्त क, ख और ग के सबूत।

* यदि अपेक्षित हो, अतिरिक्त पृष्ठों का उपयोग किया जाए।

तारीख —————

हस्ताक्षर —————

मैसर्स —————

(समानान्तर विपणनकर्ता)

पता —————

[सं पी. 17011/25/97-विपणन]

नरेश नारद, अपर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

ORDER

New Delhi, the 26th April, 2000

G. S. R. 487(E).— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order, namely:—

1. **Short title and commencement . -** (1) This Order may be called the Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Supply and Distribution) Order, 2000.

(2) It extends to the whole of India.

(3) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions -** In this Order, unless the context otherwise requires, -

(a) 'Chief Controller of Explosives' shall have the same meaning assigned to it in the Explosives Act, 1884 (4 of 1884);

(b) "consumer" means a registered person, firm, company, institution, association of persons, co-operative society or organisation, who has been granted liquefied petroleum gas connection or supply, either in bulk or in cylinder, by a distributor or a Government oil company or a parallel marketeer ;

(c) "cylinder" means a metal container utilized for storing liquefied petroleum gas conforming to the specifications laid down in Schedules II and III;

(d) "delivery person" means a person engaged by a distributor or a Government Oil Company or a parallel marketeer to deliver liquefied petroleum gas in cylinder to consumers;

(e) "distributor" means a person, firm, association of persons, company, institution, organisation or a co-operative society appointed by a Government Oil Company or parallel marketeer and engaged in the business of purchase, sale, or storage for sale of liquefied petroleum

gas in cylinders to consumers on the basis of an agreement with a Government Oil Company or a parallel marketer, as the case may be;

(f) "gas cylinder valve" means a valve which is fitted to a cylinder;

(g) "Government Oil Company" means, -

- (1) Bharat Petroleum Corporation Limited
- (2) Bongagaigaon Refinery and Petrochemicals Limited
- (3) Cochin Refineries Limited
- (4) Gas Authority of India Limited
- (5) Hindustan Petroleum Corporation Limited,
- (6) Indian Oil Corporation Limited,
- (7) Indo-Burma Petroleum Company Limited,
- (8) Chennai Petroleum Company Limited,
- (9) Numaligarh Refinery Limited,
- (10) Oil India Limited,
- (11) Oil and Natural Gas Corporation Limited, or
- (12) any other Government Company or a statutory body or a company or a firm, declared as such by notification in the Official Gazette, to be a "Government Oil Company by the Central Government, for the purposes of this Order;

(h) "Indian Standard" shall have the same meaning as assigned to it in clause (g) of section 2 of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986);

(i) "liquefied petroleum gas (or LPG)" means a mixture of light hydrocarbons which may include propane, isobutane, normal butane, butylenes etc., which are gaseous at normal ambient temperature and atmospheric pressure but may be condensed to liquid state at normal ambient temperature by the application of pressure and which conforms to Indian Standard specification number IS 4576;

(j) "parallel marketer" means any person, firm, company, institution, association of persons, co-operative society or organisation carrying on any or all of the business of importing, storing, bottling, marketing, distributing and/or selling liquefied petroleum gas under the parallel marketing system;

(k) "parallel marketing system" means the system other than the public distribution system, under which a parallel marketer carries on any or all of the business of importing, storing, bottling, distribution or selling in bulk or in retail, packed or filled in cylinder, liquefied petroleum gas under his own arrangement;

(l) "public distribution system" means the system of distribution, marketing or selling of liquefied petroleum gas by a Government Oil Company at the Government controlled or declared price through a distribution system approved by the Central or a State Government;

(m) "pressure regulator" means the equipment used for regulating the flow and pressure of liquefied petroleum gas from a cylinder to a gas stove;

(n) "Schedule" means a Schedule appended to this Order;

(o) "seal" means seal put on the cap of the valve of the cylinder for the purpose of sealing a cylinder after it has been filled with liquefied petroleum gas;

(p) "storage point" means the premises licensed by the Chief Controller of Explosives;

(q) "transporter" means a person authorised by a Government Oil Company, parallel marketeer or a distributor for transportation of LPG in bulk or in cylinders and also of empty or defective cylinders.

3. Restriction on unauthorised possession, supply and consumption of liquefied petroleum gas -

(1) A person having a connection for liquefied petroleum gas under the public distribution system, shall not -

(a) possess more than one connection of liquefied petroleum gas granted under the public distribution system:

Provided that the Central Government or the Chief Executive Officer of a Government Oil Company, may sanction more than one connection of liquefied petroleum gas under the public distribution system in favour of any person, keeping in view the difficulty and hardship experienced by such person in obtaining supplies of the LPG;

(b) possess or use liquefied petroleum gas filled in cylinder or in bulk unless he has received the supply from a Government Oil Company or a distributor authorised by such Company;

(c) use liquefied petroleum gas for any purpose other than for which the consumer is registered with the distributor of a Government Oil Company:

Provided that the Central Government may by a general or special order permit the use of liquefied petroleum gas for such other purposes as, it may, by order, specify.

- (2) The supply of liquefied petroleum gas to domestic category consumers shall be made in 14.2 Kg capacity cylinder and to those falling under non-domestic category shall be made in 19 Kg/47.5 Kg capacity cylinder, or in such capacity cylinders as may be notified, by the Central Government from time to time.
- (3) No distributor of a Government Oil Company shall supply liquefied petroleum gas filled in cylinder to any person unless he - (a) has been registered and granted a connection for liquefied petroleum gas under the public distribution system, or (b) holds a valid authorisation from the Government Oil Company.
- (4) No distributor of a Government Oil Company or a parallel marketeer, as the case may be, shall commit or cause to commit any of the activities prohibited herein including those specified in Schedule -I.

4. Restriction on storage and transport of liquefied petroleum gas --

- (1) No person shall -
 - (a) fill any cylinder with liquefied petroleum gas or transfer liquefied petroleum gas from one cylinder to another cylinder or from one container to another container unless authorised by the Chief Controller of Explosives;
 - (b) transport or store a cylinder filled with liquefied petroleum gas except in an upright position;
 - (c) store or use or cause to be stored or used a cylinder filled with the liquefied petroleum gas except in a cool, dry, well-ventilated and accessible place under cover, away from boilers, open flames, steam pipes or any potential source of heat;
 - (d) remove the seal prior to use of the cylinder:

Provided that the distributor or his authorised representative or the delivery person may remove such seal in the presence of the consumer either for testing, checking or installation of the cylinder;

- (e) use cylinder, pressure regulator and gas cylinder valve other than those specified in Schedules II and III.

(2) No transporter or delivery person shall deliver or cause to be delivered liquefied petroleum gas either in cylinder or in bulk to any person other than the consumer or distributor.

5. **Restriction on sale or distribution of liquefied petroleum gas below or in excess of the standard weight.** - No Government Oil Company, distributor or parallel marketeer shall supply, sell or distribute to a consumer liquefied petroleum gas in cylinders which contains less than or in excess of the weight of liquefied petroleum gas specified in Schedules II and III or as indicated on the cylinder.

6. **Prohibition on carrying unauthorised business of selling LPG.** -

No person other than a Government Oil Company, a parallel marketeer or a distributor shall be engaged in the business of selling liquefied petroleum gas to the consumer.

7. **Possession, supply or sale of liquefied petroleum gas equipments**

(1) No person shall -

(a) supply or sell filled or empty cylinder, gas cylinder valve and pressure regulator to any person other than a Government Oil Company or a parallel marketeer;

(b) unless authorised by a Government Oil Company or a parallel marketeer, supply or sell filled or empty cylinder, gas cylinder valve and pressure regulator to any person other than a consumer;

(c) possess filled or empty cylinder, gas cylinder valve or pressure regulator, unless he is a distributor or a consumer.

(2) Every manufacturer of cylinder, gas cylinder valve and pressure regulator shall destroy by crushing those cylinders, cylinder valves and pressure regulators which do not conform to the Indian Standards.

8. **Display of stock and price of liquefied petroleum gas.** - Every distributor shall prominently display the stock and price of the liquefied petroleum gas at a conspicuous place of the business premises including the storage point, showing -

(i) the opening balance of filled, empty and defective cylinders and regulators;

(ii) the backlog of preceding working day of the filled cylinders to be supplied;

9. **Procurement, storage and sale of liquefied petroleum gas by a distributor. -**

- (a) No distributor having stock of liquefied petroleum gas at the business premises, including storage point, shall, unless otherwise directed by a Government Oil Company or a parallel marketeer, refuse to sell LPG on any working day during working hours, to the consumer registered with that distributor.
- (b) No distributor shall keep his business premises including the storage point closed during working hours on any working day without the prior written permission of the Government Oil Company or the parallel marketeer.

Explanation. - For the purposes of sub-clauses (a) and (b), the expression 'working hours' means the working hours fixed by the concerned Government Oil Company or the parallel marketeer in accordance with the provisions of the Shops and Establishments Act and the rules made thereunder, as in force in the respective States or the Union territories, as the case may be.

- (c) Every distributor shall take steps to ensure that stocks of liquefied petroleum gas are available at the business premises, including the storage point, at all times.
- (d) No distributor shall sell liquefied petroleum gas at a higher price than that fixed by the Government Oil Company or the parallel marketeer.
- (e) No distributor shall, without prior written permission of the concerned Government Oil Company, refuse to make home delivery at the address of the consumer, as registered with the distributor:

Provided that the State Government may, fix additional charges for home delivery of LPG cylinders to the consumers, as it may deem necessary in view of the geographical terrain and/or the distance in the area of distribution.

- (f) Every distributor shall display the working hours prominently at the place of business including the place of storage on a conspicuous place.

10. **Maintenance of register, account books by a distributor. -**

- (a) Every distributor shall maintain proper accounts of daily purchase, sale and storage of liquefied petroleum gas at the business premises indicating therein, -

- (i) the opening stock of the filled, empty and defective cylinders;

- (ii) the number of filled, empty and defective cylinders received during the day;
 - (iii) the number of filled, empty and defective cylinders sold, delivered or otherwise disposed of during the day;
 - (iv) the closing stock of the filled, empty and defective cylinders;
 - (v) such other relevant particulars as the concerned Government Oil Company or the parallel marketer may by order in writing, specify.
- (b) The distributor shall maintain a register giving the details of names and addresses of persons registered for obtaining liquefied petroleum gas connection.

11. Assessment and Certification Rating of parallel marketers. -

(1)(a) No parallel marketer shall commence any activity, such as importing, storing, transporting, bottling, marketing, distribution, sale or any activity incidental thereto, relating to the business of liquefied petroleum gas without obtaining a rating certificate, for his capability, infrastructure network and readiness to carry out professed business and deliver goods and services promised, provision for adequate safety backup for transportation, accident relief during transportation, and attending to emergency complaints of consumers by an agency given in Schedule - IV, on the basis of its evaluation and rating.

(b) The rating certificate shall be issued in the format as specified in Schedule-V, and as per the forwarding letter given in Schedule-VI.

(c) The rating certificate shall -

- (i) be valid for a period of two years in case of 'good' and 'satisfactory' rating and one year in case of other ratings from the date of its issue, and
- (ii) require renewal by the rating agency.

(2) Every parallel marketer announcing details of his activity or inviting offers of any kind in the field of import, transport, marketing, bottling, distribution or sale of liquefied petroleum gas, either in a newspaper, handout, pamphlet, leaflet or by any other means of communication or advertising shall indicate the rating awarded to him in words i.e. Good, Satisfactory, Low-risk, High risk, whichever is applicable, and prominently publish the rating certificate, as given by the rating agency.

(3) There shall be paid in respect of every application to a rating agency -

during
livered
nt Oil
ecify
s and
n gas
as
le or
efied
bility,
and
afety
and
an in
d in
and
rom
ting
ing,
er,
or
od,
ntly

- (i) for the rating certificate awarded to the parallel marketeer, a fee at the rate of 0.05% of the project cost, subject to a minimum of rupees fifty thousand and maximum of rupees ten lakhs; and
- (ii) for the renewal of the rating certificate by the parallel marketeer, a fee of one-tenth of that required to be paid for such a certificate.
- (iii) The renewal of rating certificate by the parallel marketeer shall be as per the following periodicity, namely :-
 - (a) once in two years, for those having 'good' and 'satisfactory' rating certificate in the previous year.
 - (b) once in a year for those having rating certificate other than 'good' and 'satisfactory' in the previous year.
- (4) The agencies given in Schedule-IV for the purpose of evaluation shall, on payment of fee by the parallel marketeer, evaluate the parallel marketeer whose case is either referred to it or who approaches it, on the basis of the parameters indicated and the information provided by such parallel marketeer in the format as specified in Schedule-VII or such other information as may be required by the rating agency.
- (5) Every parallel marketeer shall file a certified true copy of the certificate of rating with the Ministry of Petroleum and Natural Gas, Oil Co-ordination Committee, Ministry of Food and Civil Supplies of the Central and the State Government and Collector of the District in which he imports, transports, bottles, markets, distributes or sells liquefied petroleum gas.
- (6) All letter-heads or communications of a parallel marketeer shall have the following description of rating: -
 - (i) Name of the rating agency,
 - (ii) Rating awarded to him, and
 - (ii) Date of Issue.
- (7) No parallel marketeer shall either give incomplete, incorrect, misleading, vague information in the newspaper, handout, pamphlet, leaflet or advertisement or submit such information to the rating agency:

Provided that a parallel marketeer carrying on the business of transportation, marketing, distribution or selling of liquefied petroleum gas as an agent of another parallel marketeer, who has obtained a rating certificate, shall not be required to obtain a rating certificate.

Explanation: For the purpose of this clause, a parallel marketeer shall be regarded as an agent of another parallel marketeer if the former

is appointed an agent for the above purposes by the latter through a legal instrument,

12. Maintenance of records and furnishing of information by parallel marketeer, -

- (a) Every parallel marketeer before commencing the import, transportation, bottling, marketing, distribution or sale of liquefied petroleum gas shall intimate to the Ministry of Petroleum and Natural Gas all or any of the above activities which he intends to undertake, specifying therein his capability to do so, and any other relevant particulars.
- (b) The parallel marketeer shall ensure that the quality checks are carried out and the liquefied petroleum gas meets the BIS specification number IS 4576, in all respects before the imported liquefied petroleum gas is discharged into the storage infrastructure at the port.
- (c) The parallel marketeer shall ensure that the liquefied petroleum gas meets the BIS specification number IS 4576 before it is sold to any consumer.
- (d) The parallel marketeer of liquefied petroleum gas shall submit a monthly return before the 15th day of the following month giving details of liquefied petroleum gas produced and or imported port-wise, to the Ministry of Petroleum and Natural Gas.
- (e) The parallel marketeer shall furnish to the Ministry of Petroleum and Natural Gas, or to such authority as may be specified by the Central Government, such information as may be required.

13. Power of entry, search and seizure. -

(1) Any Officer of the Central or the State Government not below the rank of Inspector duly authorised by a general or a special order, by the Central Government or the State Government, as the case may be or any officer of a Government Oil Company not below the rank of Sales Officer authorised by the Central Government, may, with a view to securing due compliance of this Order or any other order made thereunder ;

- (a) stop and search any vessel or vehicle used or capable of being used for the transport or storage of any petroleum product,
- (b) enter and search any place,
- (c) seize stocks of liquefied petroleum gas alongwith container and/or equipments, such as cylinders, gas cylinder valves, pressure regulators and seals in respect of which he has reason to believe

that a contravention of this Order has been, or is being, or is about to be made.

- (2) The sales officer of a Government Oil Company shall be authorised to secure compliance of this Order by the distributors appointed under the public distribution system and or by the consumer registered by them.

14. **Overriding effect of the Order.** -The provisions of this Order shall have overriding effect notwithstanding anything contained in any Order made by a State Government or a Union Territory Administration.

15. **Power to exempt.** -The Central Government may, if it considers necessary, for avoiding any hardship or in consideration of the public interest, by a notification in the Official Gazette, exempt any person or class of persons from all or any of the provisions of this Order, either generally or for any specific purpose, and subject to such conditions as may be specified in the notification.

16. **Repeal and savings.** -

The Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Supply and Distribution) Order, 1993 is hereby repealed:

Provided that such repeal shall not effect:

- (a) the previous operation of the said Order or anything duly done or suffered therein; or
- (b) any right, privilege, obligation or liability acquired, accrued or incurred under the said Order; or
- (c) any penalty, forfeiture or punishment incurred in respect of any offence committed against the said Order; or
- (d) any investigation, legal proceedings or remedy in respect of any such right, privilege, obligation, liability, penalty, forfeiture or punishment as aforesaid,

and any such investigation, legal proceeding or remedy may be instituted, continued or enforced and any such penalty, forfeiture or punishment may be imposed as if the said Order had not been repealed.

Schedule-I
(see clause 3(4))

Prohibited Activities
(for Government Oil Companies)

1. Forced sale of Stove/Hotplates to the consumers.
2. Recovery of unauthorised charges from applicant at the time of registration/ release of new connection.
3. Supply of partially used cylinder/pilfering product from cylinder/cylinders with pilfered product to LPG consumer.
4. Unauthorised and/or out of turn release of new LPG connections.
5. Unauthorised diversion of domestic cylinder for non-domestic use of LPG.
6. Acceptance of fake documents including Termination Vouchers and Transfer Termination Vouchers.
7. Possession of spurious LPG equipment.
8. Induction of spurious LPG equipment and/or replacement by a spurious equipment.
9. Manipulation of mandatory records.
10. Non-home delivery of LPG refill supplies to consumer and/or not giving rebate on non-home delivery to LPG consumer.
11. Overcharging by distributor on LPG refill supplies, installation charges, mechanic charges and/or any other charges authorised by the Government Oil Company.
12. Refusal to register requests for new connection and/or double bottle connection.

Prohibited Activities
(for Parallel Marketeers)

1. Forced sale of Stove/Hotplates to the consumers.
2. Supply of partially used cylinder/pilfering product from cylinder/cylinder with pilfered product to LPG consumer.

3. Possession of spurious LPG equipment.
4. Induction of spurious LPG equipment and/or replacement by a spurious equipment.
5. Manipulation of mandatory records.

Schedule – II
(see clauses 4(1) (e) & 5)

Applicable to distributors of a Government Oil Company

Standard size and specification of Liquefied Petroleum Gas Cylinders shall conform to IS 3196 (Part I) , 1992 Colour code specification IS 4379 and the following:-

Internal diameter of cylinder in mm	Net weight of liquefied petroleum gas in the cylinder
314 mm + 1% - 0%	14.2 kg +150 gms
330.1 mm + 2% - 0%	19 kg + 1.0 %
368.3 mm + 1% - 0%	47.5 kg + 1.0 %

(+)
(- indicate the variations on either side)

NOTE:

1. Standard size and specification of Gas Cylinder Valve under the public distribution system shall conform to IS 8737 Part II specifications having an outlet collar diameter of 25.6 mm.
2. Pressure regulator shall conform to IS 9798 specification having an inlet diameter of 25.6 mm.

Schedule - III
see clauses 4(1)(e) & 5)

(Applicable to Parallel Marketing System)

A parallel marketeer under the parallel marketing system shall deal with the following use:-

- (a) Cylinder of any size, shape, design and weight other than those specified in Schedule 'II' conforming to Indian Standard specifications.
- (b) Gas cylinder valve conforming to IS specification 8737, Part II of any size having an outlet collar diameter of 22.0 mm.
- (c) Pressure regulator conforming to IS specification 9798 of any size and having an inlet diameter other than of 22.0 mm.

NOTE:

1. The cylinder used by a parallel marketeer shall be provided with a valve protection ring different in shape from that in the cylinder used by a Government Oil Company.
2. The cylinder used by a parallel marketeer shall be clearly marked with Colour Band and Logo of their respective company, firm or person marketing liquefied petroleum gas, as approved by the Chief Controller of Explosives.
3. Maximum permissible error on net quantities declared by weight or by volume shall be as below:-

Declared quantity	Maximum permissible error in excess or in deficiency	
	%	gm or ml
Gm or ml		
1000-10000	1.5%	-
10000-15000	-	150
more than 15000	1.0%	

Schedule - IV
[see clause 11(1)(a) & (4)]

Name and address of agencies for evaluation of a Parallel Marketeer

with an

ified in

having

ving at

valve

ment

colour

ified

lume

Name	Address
1. CRISIL (The Credit Rating Information Services of India Ltd.)	Nirlon House, 2 nd Floor, 254 B, Annie Besant Road, Worli, Bombay-400025
2. CARE (Credit Analysis and Research Ltd.)	RBC, Mahindra Towers, 5 th Floor, Road No. 13, Worli, Bombay-400018
3. MDRA (Marketing and Development Research Associates)	Secular House, 9/1, Institutional Area, Opp. JNU, N. Delhi-67
4. ICRA (Investment Information Credit Rating Agency of India Ltd.)	Kailash Building, 4 th Floor, 26, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi - 1

145367E/2000-4

Schedule-V
(see clause 11(1)(b))

Rating Certificate for the Parallel Marketeer

Date of Issue: _____

Name of Firm/Company: _____

Registered Office Address: _____

Name of Promoter/Chairman/Managing Director: _____

Activities: _____

Particular of Bankers: _____

Overall Rating _____

Rating Scale

Good
Satisfactory
Low Risk
High Risk

Signature and Seal of the Rating Agency

Schedule-VI
[see clause 11(1)(b)]

Forwarding Letter for the Certificate of rating.

To whomsoever it may concern

This is to certify that we have made an evaluation of M/s _____ for the purpose of issuing certificate and a rating to them in accordance with the provisions of the Liquefied Petroleum Gas (Regulation of Supply and Distribution), Order, 2000.

We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of issuing this certificate. The certificate issued by us is as a result of our examination of the documents, records and assessment of the information obtained by us and the Evaluation of capability, infrastructure network and readiness to carry out professed business, deliver good and services promised by the parallel marketeer. We are satisfied that the information and particulars received and collected by us are sufficient enough to enable us to evaluate M/s _____** providing the rating as specified.

M/s _____** are awarded _____ rating.

Salient facts about M/s _____** are as follows:-

1. Total investment planned.
2. Total investment made upto date.
3. Promoter's equity.
4. Proposed/likely date of commissioning.

** Name of the parallel marketeer to be indicated.

(Signature and Seal of the Rating Agency)

Schedule-VII
[see clause 11(4)]

Proforma of information to be submitted by the Parallel Marketeer for Evaluation/Rating by the Rating Agency.

PARAMETERS

DETAILS *

1. Market Standing of the Company:

- A. Constitution of the firm
- B. Registered Office
- C. Location & Addresses of Existing Business.
- D. Name of Promoters/Directors/Partners.
- E. Background and full antecedents of promoters/directors/partners.
- F. Networth of Promoters/Directors/Partners.
- G. Current Activity.
- H. Details of existing operations of the Parallel Marketeer and/or his group of companies.
- I. Audited A/cs for three years of the promoter firm and group concerns with details of promoters constitution.
- J. Working Capital requirement for new Business pertaining to Parallel Marketing with resume of proposed scheme.
- K. Implementation record of typical projects already undertaken, in terms of cost, time, nature of projects and technology involved.
- L. Business plans and projected cash flows.
- M. Sourcing of funds for existing and proposed Business.
- N. Performance of Parallel Marketeer in his other group companies for last three years with income tax clearance certificate.

2. Marketing Plans for Liquefied Petroleum Gas:**2.1 Infrastructure for Liquefied Petroleum Gas Sourcing/Handling:**

- A. Import Locations identified.
- B. Proposed size of import parcels.
- C. Status of approvals (ports/statutory/State Government/Chief Controller of Explosives/Environment/Milestone achieved with squared network-local authorities)
- D. Status of Progress
- E. Details of Technological tie ups, if any.
- F. Business proposals/Project Feasibility report, Financial Details and Financial risk analysis.

2.2 Commercial arrangements and/or consortium for Liquefied Petroleum Gas (if own facilities are not planned):

- A. Any tie up arrangement finalized with importer.
- B. The supporting agreements/documents for such tie up.
- C. The quantum of product to be imported with minimum guarantee.
- D. Details of Storage & Handling of product at the import location/tie up agreement.
- E. Fall back arrangement to meet the shortfall in case the tie up arrangement does not materialise.

3. Storage and Distribution arrangement for Liquefied Petroleum Gas planned:

- A. Details of Storage facilities of Depots/Bottling plants with their capacities.
- B. Status of progress on items mentioned above.
- C. Plant & Equipment/Technological details.
- D. Details of manpower and the arrangement to handle the product.
- E. Details of designs and standards to be followed for construction and operation of these facilities.
- F. Status of approvals for the facilities.
- G. Details of arrangements for procurement of Cylinders/Valves/Regulators.
- H. Whether the bottling plants are as per safety standards – Oil Industry Safety Directorate 144/169.

4. Arrangements planned to reach the product to consumption Centres/Markets:

- A. Details of distributor network planned/already appointed.
- B. Details of the basis for distributors appointment.
- C. Details of showroom/sales room/office and godown planned/existing along with status of approvals.
- D. Details of Distribution arrangement between the distributors godown and the consumer.

5. Product Familiarity Training and Provision for Safety :

- A. Operational knowledge of product (Liquefied Petroleum Gas) and its handling.
- B. The capability and preparedness to meet the safety requirement in Liquefied Petroleum Gas, its transportation and accident relief during transportation.
- C. Plans for training the staff and the consumer on safe handling

- of equipment/product.
- D. Recruitment policy and standards for the staff.
 - E. Familiarity with Gas Control Orders, Explosives Rules and other applicable local acts.
 - F. Details for arrangement for attending emergency complaints of consumers.
6. **Marketing Discipline and Guidelines proposed to be adopted:**
- A. Code of conduct for distributors and delivery men.
 - B. System to monitor and control adulteration and unauthorised diversion of products.
7. **Organization in place/proposed for the parallel marketing of Liquefied Petroleum Gas:**
- A. Details of Organizational Structure.
 - B. Level of managerial involvement of the promoter.
 - C. Source of financing the Liquefied Petroleum Gas parallel marketing including the infrastructure.
 - D. Any other relevant details which the parallel marketer would like to provide.
8. **Financial commitment -**
- A. Total estimated project cost.
 - B. Planned (phase-wise) resource mobilisation.
 - C. Resources arranged and investment made as on date
 - D. Proof of A, B and C above.

* Extra Sheets may be used, if required.

Date -----

Signature-----
M/s-----
(Parallel Marketeer)
Address-----

[F. Number No. P-17011/25/97-Md]
NARESH NARAD, Addl. Secy